[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

लेंगे, ताकि यह जनमत जानने के लिए चला जाये, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करें, और हिन्दुस्तान की जनता वह स्वर्णिम दिन देखे, जब हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को काम का मौलिक अधिकार मिल जाये और उसके लिए भविष्य की कोई अनिश्चितता न हो, और यह जान कर वह यह अनुभव करे कि वर्तमान संसद् ने देश को एक अमर वरदान दिया है ।

मुझे विश्वास है कि विधि मंत्री इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने सम्बन्धी श्री कामत के संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

सभापति महोदय : इस विधेयक के सम्बन्ध में तीन संशोधन आये हुए हैं : एक श्री लक्ष्मी नारायण नायक का, दूसरा श्री हरि विष्णु कामत का और तीसरा श्री बी० पी० मण्डल का । पहला है श्री लक्ष्मी नारायण नायक का सर्कुलेशन । क्या श्री नायक अपना मोशन प्रेस कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खुजराहो) : मैं प्रेस करना चाहता हूं ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं कामत साहब का संशोधन स्वीकार करता हूं । मैं समझता हूं कि उन का संशोधन अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि उस में समय भी दिया है ।

सभापति महोदय : आप के कहने से नहीं होगा । श्री नायक को अपना वापस लेना पड़ेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : दूसरा है श्री हरि विष्णु कामत का ।

श्री शांति भूषण : मेरी प्रार्थना है कि वह भी वापस ले लें ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं वापस नहीं ले रहा हूं । उस पर मतदान होना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by January 27, 1979." (2).

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The amendment of Shri B. P. Mandal is barred.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं सदन के प्रति बहुत नम्रता के साथ अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं समूचे हिन्दुस्तान के नवयुवकों की तरफ से कि हमारे सदन ने इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव पास किया । इस के लिए मैं सदैव अनुगृहीत रहूंगा और कामत साहब को मैं धन्यवाद देता हूं ।

16.33 hrs.

INDIAN TRUSTEESHIP BILL

MR. CHAIRMAN: We now go on to the next item on the Agenda, viz. the Bill of Mr. Arjun Singh Bhadoria.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि ट्रस्ट नियमों की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं इस भारतीय ट्रस्टीशिप विधेयक को इस आशा और विश्वास के साथ पेश कर रहा हूं कि इस सदन के सभी पक्षों का समर्थन इस विधेयक को प्राप्त होगा ।

सही अर्थों में यह विधेयक आज से बहुत पूर्व ही गांधी जी के सही अनुयायियों की तरफ से आना चाहिए था । विस्फोट मुझे खुशी है आज आप के सभापतित्व में विधेयक को उपस्थित करने का अवसर हो रहा है, सच्चे माने में गांधीवादी होने के नाते । लेकिन दुर्भाग्य से गांधी जी की हत्या के पश्चात् गांधीवादी तीन भागों में विभाजित हो गए--(1) सरकारी गांधीवादी, (2) मठी गांधीवादी और (3) कुजात गांधीवादी । इस ट्रस्टीशिप के दर्शन पर सरकारी और मठी गांधीवादियों ने परमार्थ और सेवा के नाम पर निर्गुण चर्चा तो बहुत की, परन्तु कभी भी इन लोगों ने इस को सगुण रूप देने का प्रयत्न नहीं किया ।

सौभाग्य से लोहिया जी ने अपनी मृत्यु के पूर्व मार्च, 1967 में एक कुजात गांधीवाद के रूप में इस सदन में इंडियन ट्रस्टीशिप बिल पेश करने का प्रयत्न किया, परन्तु 12 जून 1967 को राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को यह कह कर वापस कर दिया कि यह मनी बिल है । इस के बाद 24 जून, 1967 को डा० लोहिया ने फिर से लिखा । लेकिन दुर्भाग्य से उस समय यह पेश नहीं हो सका । उस समय लोहिया जी ने अपने ड्राफ्ट बिल में निम्न स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स रखे थे :

---

*Moved with the recommendation of the President.

"Mahatma Gandhi had once said that when India became free all the capitalists would be given an opportunity of becoming statutory trustees. The Bill seeks to provide such an opportunity to the owners of large companies and proposes necessary provisions for the democratic management of the resultant trust corporations in accordance with the priciples of trusteeship formulated by Gandhiji. The provisions of the Bill are dintended to usher in peacefully an era of a socialist society. As the Planning Commission has observed in the Second Five Year Plan, a socialist society is built up not only solely on monetary incentives, but on ideas of service to society. It is necessary, therefore, that the worker should be made to feel that he is helping to build a socialist State. The provisions of the Bill are expected to promote increased productivity by giving the workers a sense of full and intelligent participation in the processes of production, purchases, sales and investments of the enterprise. This Bill is not a compulsory but a permissive measure enabling the present owners of large companies to transform their existing titles based on absolute rights into trust ownership."

यह 1967 में डा० लोहिया ने जो कहा था वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है ।

ट्रस्टीशिप के उद्देश्य और मंशा—इसके बारे में मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं ।

मैं आज भारतीय ट्रस्टीशिप विधेयक, 1978 इस आशा और विश्वास के साथ पेश कर रहा हूं कि हमारे मार्गदर्शक गांधी जी के विचारों में हमें आज की समस्याओं का हल मिलता है । इस प्रकार की बढ़ती हुई पूंजीवादी व्यवस्था का खतरा गांधी जी के सामने था और उन्होंने इसके जवाब में जो ट्रस्टीशिप की व्यवस्था सुझाई थी—उसमें हथियार से घृणा और भय के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था से प्रेम और गुस्से के हथियार से लड़ा जा सकता है । देश को इस पूंजीवादी व्यवस्था के दलदल से निकालने का ट्रस्टीशिप ही एकमात्र हथियार है । ट्रस्टीशिप का मुख्य उद्देश्य अहिंसक रीति से समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर बराबरी की व्यवस्था स्थापित करना है । वर्तमान स्थिति में ट्रस्टीशिप ही एक मात्र साधन है अन्त्योदय का ।

आज जो आर्थिक गैर-बराबरी और अव्यवस्था है, मजदूरों में असंतोष व्यापक पैमाने पर फैल रहा है । अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है । सरकार को जनता की अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने में पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है । उसका हल ढूंढना ही होगा और इसके लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत नहीं है । अब इसका एकमात्र उपाय ट्रस्टीशिप ही है ।

मानव अधिकारों की सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों की बराबरी की लड़ाई में मिली आंशिक सफलता ही सरकार को मजबूत बनाये रखने में सफल नहीं हो सकती है, जब तक कि भूख से परेशान गैर-बराबरी के शिकंजे में जकड़ी जनता को आर्थिक अधिकारों में बराबरी दिलाने की लड़ाई का जिम्मा सरकार पूरी मजबूती के साथ नहीं उठायेगी, तब तक समस्याओं का सुरसा जैसा बढ़ता मुख बन्द नहीं किया जा सकता । जब तक गांधी जी के विचारों को मानने का ढोंग करने वाली पिछली 20 वर्ष की सरकार ने गांधी जी के नाम पर सभी गैर-गांधीवादी कार्यक्रमों को चलाया और जिस का नतीजा आज इस विकट रूप में देश को भुगतना पड़ रहा है । कथनी और करनी का अन्तर रहा है, लेकिन जनता की क्रान्तिकारी अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिये समर्पित जनता सरकार को गांधी जी को समर्पित 24 मार्च, 1977 की शपथ को निभाना होगा । उन के प्रति समर्पित श्रद्धांजलि तभी सही अर्थों में मानी जायेगी, जब उन के सपनों में सदा रहने वाले 65 करोड़ भारत की जनता के चेहरे पर ममता, संपन्नता और सुख की मुसकान लहरायेगी ।

तानाशाही के बढ़ते शिकंजे से देश को मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ ही जनता सरकार ने देश के पिछड़े—सताये गरीबों के अंत्योदय की ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली है । लोकतान्त्रिक परम्पराओं को पुनः स्थापित करने तथा उन को मजबूत बनाने के लिये प्रिवेन्टिव-डिटेन्शन जैसे कानून को समाप्त करना जनता सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम रहा है । किन्तु लोकतन्त्र को चिरस्थायी बनाने के लिये आर्थिक आजादी की व्यवस्था सब से पहली आवश्यकता है । लोकतन्त्र का आधार ही सामाजिक और आर्थिक बराबरी है । देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये गांधी जी के सपनों के प्रति समर्पित हमारी सरकार का पहला उद्देश्य है कि वह जनता और देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाये । सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जनता को दिलाने पर ही गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

और अविकास के कुचक्र से देश को उबारा जा सकता है । गांधी जी ने कहा था—अहिंसा पर आधारित उन के सपनों का समाज बराबरी पर आधारित समाज ही हो सकता है । गांधी जी के अहिंसा के समाज के मायने थे—ऐसा समाज जिस में किसी प्रकार का शोषण न हो, जिसे हम गर्व से कहें—शोषण मुक्त समाज । सभापति जी, ट्रस्टीशिप का अर्थ क्या है ? मैं इसे आप के समक्ष इस सदन में खण्डवार उपस्थित कर रहा हूं —

1. पूंजीवादी व्यवस्था को समतामूलक समाज व्यवस्था में परिवर्तित करना । इस के द्वारा पूंजीपतियों को अपने आप को सुधारने का मौका दिया जायगा । प्रत्येक मानव मन परिवर्तित कर अधिक दयालु बनाया जा सकता है । अतः इस तरह की व्यवस्था से पूंजीपतियों को भी मौका मिलेगा कि वे शोषण की व्यवस्था तोड़ें और मजदूरों को उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सेदारी दे कर एक लाभ के समान बटवारे की व्यवस्था को स्वीकार करें । यह समतामूलक समाज की तरफ पहला कदम होगा ।

2. किसी भी तरह की व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति करना, सिर्फ सामाजिक आवश्यकता के आधार पर ही किसी प्रकार की सम्पत्ति का संचय स्वीकार किया जा सकता है । किन्तु यह आवश्यक होगा कि इस प्रकार की सम्पत्ति से सारे समाज का फायदा हो ।

3. कोई भी व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये न तो सम्पत्ति संचित कर सकेगा और न ही उस का अपने व्यक्तिगत संतोष के लिये उपभोग कर सकेगा । सम्पत्ति पर सारे समाज का हक होगा और उस का उपयोग समाज की भलाई के लिये ही किया जायगा ।

4. ट्रस्टीशिप का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पूंजीपति और मजदूरों के बीच में सद्भाव पैदा करना भी है । जिस की प्राप्ति के लिये एक निश्चित मजदूरी तय की जाती है । मजदूरी निश्चित तौर पर मजदूर की सभी सामान्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य हो । साथ ही समाज में हर व्यक्ति को पुष्ट होने वाली आय पर भी सीमा बांधी जानी चाहिये । सब से कम आय प्राप्त करने और सब से ज्यादा आय प्राप्त करने वाले की आमदनी के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिये और बराबर यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि दोनों के बीच की दूरी घटती जाय जिस से कि समाज में गैर-बराबरी और शोषण की व्यवस्था हटा कर बराबरी और समतामलक समाज की व्यवस्था लाई जा सके । यह दूरी एक और बीस, फिर एक और पन्द्रह और घटते घटते स्किल्ड लेबर और आर्डनरी लेबर में अधिक से अधिक एक और दस तक की आय ।

5. गांधी जी के ट्रस्टीशिप व्यवस्था की जो सब से महत्वपूर्ण मान्यता थी, वह उत्पादन की व्यवस्था के विषय में उन का सोच था । समाज में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिये, जितनी समाज को आवश्यकता हो । पूंजीपतियों की व्यक्तिगत इच्छा, स्वार्थ और सुविधा के आधार पर चल रही उत्पादन व्यवस्था बंद की जानी चाहिये ।

गांधी जी ने साफ तौर पर कहा था—पूंजीपतियों के सामने अपनी भलाई का एकमात्र रास्ता है कि वह अपनी अतिरिक्त अर्जित पूंजी को समाज को समर्पित कर दे, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भूखी, परेशान, उपेक्षित जन-शक्ति एक दिन अवश्य जगेगी और अपने हक पर कब्जा करने के लिये आगे बढ़ेगी । ऐसे में कितनी भी शक्तिशाली सरकार क्यों न हो, वह जन-उफान को सेना की शक्ति का इस्तेमाल कर के भी नहीं रोक पायेगी ।

ट्रस्टीशिप के मूल में अहिंसा, आत्म-नियंत्रण, आत्म-निर्भरता और प्रति उत्पादक यूनिट की स्वायत्तता निहित है । पूंजीपतियों के पास जो अतिरिक्त सम्पत्ति जमा होती जा रही है, उस का समान वितरण ही गरीब-अमीर की गैर बराबरी की बढ़ती खाई को भरने के संभव हो सकेगा ।

सरकार की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर उद्योगों को ग्रामोन्मुख बनाना, समतामूलक, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में पहला कदम है । अब मुझे अपेक्षा है कि गांधी का सुझाया ट्रस्टीशिप का यह रास्ता अपना कर हम अपने उद्देश्य के प्रति दूसरा और महत्वपूर्ण कदम बढ़ायेंगे ।

सभापति जी, इसी सिलसिले में लोकनायक जय प्रकाश जी ने भी कुछ कहा है ।

In a publication recently issued by the Trusteeship Foundation, Bombay, Shri Jayaprakash Narayan has said:

"It must be admitted that no progress has been made in spelling out either in theory or in practice Gandhiji's seminal concept. .... the theoretical foundations and the juridical and practical procedures and forms for running economic enterprise in accordance with the spirit of trusteeship have yet to be worked out by us."

Even before this Shri Jayaprakash Narayan has, among others, justified the need for giving legislative sanction to the Gandhian concept to trus-

teeship. Writing in *Bhoodan* of October 21 1967, he has said:

"There is at times a misunderstanding found as to the relation of Gandhian ideals to law. It is thought his ideals have nothing to do with law, so much so that if they were expressed through law, they lost their ethical validity. This is a mistaken view. It is only just and proper that when a certain ideal has come to be widely accepted and acted upon, it should receive the imprimatur of law. Referring to his idea of trusteeship (which by the way is what *Bhoodan* is in essence), Gandhiji often spoke of its being eventually regularized by law. That, indeed, is what has been happening in the course of the *Bhoodan* Movement, when *Bhoodan* and *Gramdan* have both been given legal recognition and Status by appropriate legislation."

Several attempts have been made so far to introduce legislative proposals in Parliament, but none has reached the statute book.

मैंने बहुत ही संक्षेप में ट्रस्टीशिप के सम्बन्ध में जो गांधी जी के, लोहिया जी के, जय प्रकाश जी के विचार थे, राय थी उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है । आज आप देश की स्थिति को देखें । हमारा देश भयंकर खतरों में से हो कर गुजर रहा है, भयंकर संकटों के दौरे से गुजर रहा है और उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर देश को इन संकटों से बचाना है तो हम को हर हालत में इस विधेयक को कानून का रूप देना होगा । आर्थिक संकट गहरा होता चला जा रहा है । साथ ही साथ सामाजिक संकट इतना बढ़ रहा है कि मुल्क खतरे के बिलकुल ही नजदीक एक ऐसी दीवार पर खड़ा हो गया है कि यह खतरा कभी भी इस देश को किसी बड़े गड्ढे में गिरा सकता है । चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो अथवा आर्थिक गैर बराबरी इन दोनों गैर बराबरियों को दूर करने के लिए हम अपने देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिस में न हिंसा हो, और न जबर्दस्ती हो बल्कि हम प्रेम से, स्नेह से देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकें और करें कि जिस के आधार पर देश को बचाया जा सके और मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके । यदि आर्थिक समस्याओं को शीघ्र हल नहीं किया गया तो आपकी नक्सलपंथियों के बढ़ने के बहाने की बात देश नहीं सुनेगा। देश हिंसा का रास्ता अपनाये या अहिंसा का आपके ऊपर (शासन पर) निर्भर करता है ।

मुझे अभी आपके समक्ष इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय इतना ही इस सम्बन्ध में कहना है ।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to provide for establishment of Trust Corporations and for matters connected therewith, be taken into consideration."

*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat): Madam Chairman, all of us in this House should commend the laudable efforts of my hon. friend, Shri Arjun Singh Bhadoria, who has introduced the Indian Trusteeship Bill through which he has attempted to translate into reality Mahatmaji's dream of ushering in an era of socialist society through peaceful means.

Mahatma Gandhi did not formulate his concepts sitting in an air-conditioned attic room. Living with the people of the soil, understanding their day to day problems of life, he tried to conceptualise solutions. The father of the nation was a humanist from first to last. He wanted the citizens of the country to become active participants in the building of an egalitarian society. Before he could concretise his concepts, Mahatmaji was removed from our midst.

Pandit Jawaharlal Nehru on the eve of Independence said that when the whole world slept India got awakened. Panditji tried to follow in the footsteps of Mahatma Gandhi, particularly in the matter of inculcating the spirit of social service among the people of the free nation. But, unfortunately, during the period 1947—1978, the path of economic growth has been paved not with the persuasive principles of Mahatmaji but with the perversive ideas borrowed from alien

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri Sunna Sahib]

sources. Consequently we have gone astray and alienated ourselves from the day to day problems of our people. Mahatmaji said that trusteeship is the backbone of all economic activities. Instead of strengthening the backbone, we have allowed the growth of private capitalism in the country. A few minutes before this House discussed Mr. Shastri's Bill seeking to incorporate right to work in the Constitution. Gandhiji used to give a pre-eminent place to the concept of dignity of labour, which in other words meant 'right to work' for every citizen enabling him to realise the dignity of labour. Here also we have not enabled our countrymen to realise the dignity of labour by providing job opportunities to all the unemployed in the country, whose number has gone to 41 millions. I need not say that in this also our economis development programmes play a pivotal role.

The assets of 20 monopoly industrial houses have in the course of three decades gone up to Rs. 3000 crores. You will be surprised to know that the public sector financial institutions have help them with a loan of Rs. 2,400 crores. These monopoly industrial houses multiplied and maximised their profits at the cost of the people. This is no occasion to enumerate the dubious ways in which they manage to go scot free from governmental constraints. These houses have been the paradise for their kith and kin.

I would refer to Clause 30 of this Bill which says that any private entrepreneur may set up a new Trust Corporation by investment of fifty per cent in the share capital, provided the Central Government or the State Government concerned agrees to subscribe the remaining fifty per cent of the share capital subject to the condition that the total equity capital does no exceed Rs. 20 lakhs. Has this happened so far in our country? We have the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission. Yet our private sector capitalists are ingenius to circumvent the statutory compulsions. Their prime motive has not been service to people but to make them servitors. Personal gain is the sole consideration and the good of the society is beyond their ken.

Now, let me turn to investment in public sector. We have invested so far a massive sum of Rs. 30,000 crores. Have the public sector industrial institutions produced any return on this money, which could be used for social development? Unfortunately the answer is in the negative. Here also the stranglehold of bureaucrats has sniffed out such possibilities.

It may not be an exaggeration to say that social good has been the victim in both the cases. The coal-mines, when they were in the private sector, were being exploited full; but they have started showing losses under the management of public sector corporation. The ineptitude and callousness of those in charge of such public sector units in the matter of materials management have led to this regrettable consequence.

Mahatmaji talked of village industries. He wanted every one to wear Khadi, not merely as a sign of patriotism but also as a symbol of self-reliance, which meant wide-spread job opportunities throughout the country. By emphasising the establishment of village industries, he wanted to ensure the economic upliftment of rural areas of the country. Mahatmaji used to say that the man who keeps a paise more than his requirement is a black-marketeer. He was sure of his ground that a society would grow only on the basis of selfless service of those who constitute it. Unless the workers were encouraged to take full interest in the various activities of the industry such as production, purchase, sales and investment, there would not be that environment for both economic development and social upliftment. Only Trusteeship would primarily provide such a conducive climate. The concept of Trusteeship makes it abundantly clear that a Socialist

Society could be built not merely by monetary incentives but by the spirit of social service. Gita lays so much emphasis on the concept of detachment. Unless detachment becomes the cardinal principle of our lives, there cannot be any chance for the growth of common good. Our poet-patriot Bharathiyar used to say that if the society does not prosper then the country cannot prosper. A society can grow only when its constituents show a sense of detachment. Shri Aggarwal has brought this out in a beautiful way in his book on Gandhian Economics. Shri Ramachandran has referred to this basis as inevitable for advancement of common interests. Now we find that cooperative institutions in the country are in total disarray because of the absence of this basis tenet. In these circumstances, the concept of trusteeship must be given its due importance in the scheme of Government's economic activities.

During the past 30 years it has been proved to the hilt that common good is subservient to personal growth so far as the capitalists are concerned. The public sector has not yet imbibed the spirit of social good. Dr. Sushila Nayar, who is fortunately in the Chair, is a disciple of Mahatma Gandhi and she knows the importance Mahatmaji attached to this concept of Trusteeship, which would provide an opportunity to all the capitalists in independent India to become legal trustees, which would enable the proprietors of big companies to convert their absolute ownership into trust ownership.

I am sure that the Government would unreservedly appreciate the spirit behind this laudable legislation and come forward on their own with such a Bill, if they do not want to accept this Private Member's Bill. I hope that this is the time to translate Mahatma Gandhi's ideals into reality. It is to be ensured that the wealth of the nation contributes to the common weal and does not become a means to fatten a few chosen ones. This can be achieved only through the provisions of Indian Trusteeship Bill as introduced by Shri Arjun Singh Bhadoria.

With these words, I apeal to the other Members of the House to lend their valuable support to this Bill.

17.00 hrs. Bby

डा० राजो सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय और बुजुर्ग नेता, श्री अर्जुन सिंह भदौरिया, को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर विधेयक प्रस्तुत किया है । जैसा कि उन्होंने बताया है, ट्रस्टीशिप का विधेयक इस संसद् में 1967 में डा० राम मनोहर लोहिया ने लाया, लेकिन उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली । उसके बाद श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 21-11-69 को यह बिल लाया था । फिर ट्रस्टीशिप पर एक दूसरा बिल श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1975 में लाया ।

उसके बाद इस संसद् में तीन बिल ट्रस्टीशिप पर उपस्थित हुए । एक मेरा बिल था—जनता ट्रस्टीशिप बिल, दूसरा श्री भदौरिया का बिल था, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, और तीसरा श्री उग्रसेन का बिल था । इस प्रकार संसद् में ट्रस्टीशिप के सम्बन्ध में छः विधेयक आये हैं ।

जब हम ट्रस्टीशिप के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं, तो मेरे सामने जनता पार्टी के घोषणापत्र का मुख पृष्ठ है, जिस पर लिखा है : "रोटी और आजादी—दोनों चाहिए, एक गांधीवादी विकल्प ।" उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है : "जनता पार्टी गांधी जी की आस्थाओं और उनके आदर्शों को समर्पित है । स्वाधीनता-संग्राम के दौरान जिन उदात्त निष्ठाओं ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया था, उनके आधार पर ही एक लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जनता पार्टी कृतसंकल्प है ।"

मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य, श्री मुन्ना साहिब, ने भी इस का समर्थन किया है । मुझे विश्वास है कि जो भी व्यक्ति गांधीवादी निष्ठाओं में आस्था रखते हैं, वे इस विधेयक को अपना समर्थन देंगे ।

प्रश्न यह है कि सम्पत्ति का स्वामित्व किस के पास रहे । हमारे सामने दुनिया में दो तरह की व्यवस्थायें हैं—टू पोलर एक्सट्रीम सिस्टम्ज हमारे सामने हैं । आज विश्व दो आत्यंतिक ध्रुवों के आर्थिक सिद्धांतों से संचालित है । एक तरफ व्यक्तिगत पूंजी है, जिस का ज्वलंत उदाहरण

[डा० रामजी सिंह]

अमरीका है । दूसरी तरफ राज्य का पूंजीवाद है, जो हम साम्यवादी व्यवस्था में देखते हैं । वस्तुत: दोनों पूंजीवाद हैं : एक प्राईवेट केपिटलिज्म है और दूसरा स्टेट कैपिटलिज्म है । इस लिए आज हमें एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था की कल्पना करनी है, जिस में इस तरह का केन्द्रीयकरण न हो कि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का हनन हो जाये । यही विश्व की समस्या है ।

जब हम इस विषय पर बात करते हैं, तो हमें गांधीजी की याद आती है । आज कुछ लोगों को यह शंका और संशय हो सकता है कि कहीं पूंजीवादियों के समर्थन के लिए तो यह बिल नहीं है । शायद ट्रस्टीशिप की मूलभूत मान्यताओं को उन्होंने समझा नहीं है । ट्रस्टीशिप का मतलब व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार नहीं है लुई फिशर ने लिखा है, और लास्ट फेज में प्यारेलाल ने भी लिखा है कि आजादी के बाद गांधी को पूछा कि आप किसानों के लिए क्या कहेंगे । तो उन्होंने कहा था कि हम कहेंगे किसानों को कि वह जमीन पर बढ़ जायें । फिर पूछा कि आप तब भूमि-पतियों को क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि I shall ask them to cooperate. यह बता दिया । जब बिरला साहब के पास गांधी जी बैठे हुए थे तो बिरला साहब ने पूछा था, गांधी जी से कि बापू, सब दिन तो आप अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे, अब अंग्रेजों के जाने के बाद आप किस से संघर्ष करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब मैं तुम से संघर्ष करूंगा ।

इसलिए सचमुच गांधी जी को नहीं समझने के कारण ही हम उन के एकोनामिक रेडिकलिज्म को नहीं समझते हैं । इसीलिए ट्रस्टीशिप को हम पूंजीवादी सिद्धांतों के दायरे में समझने की कोशिश करते हैं ।

गांधी जी ने 1931 में ही कहा था :—

"As for the present owners of wealth, they would have to make their choice between war and voluntarily converting themselves into trustees of wealth. They would be allowed to retain the stewardship of their possession and to use their talent to increase their wealth, not for their own sakes, but for the sake of the nation and, therefore, without exploitation. The state would regulate the rate of commission which they would get commensurate with the service rendered and its value to society. Their children would inherit the stewardship only if they proved their fitness for it".

मैं नहीं समझता हूं कि गांधी जी के इस उद्धरण के बाद कोई भी संशय किसी को होना चाहिए कि गांधी जी किस प्रकार से सिद्धान्त विश्वास करते थे । प्रश्न यह है कि समाज-परिवर्तन तो होना ही है । परिवर्तन सृष्टि का नियम है । यह जो यथास्थिति सामने है इस को बदलना होगा । पर परिवर्तन किस प्रकार होगा ? एक परिवर्तन है विकास जो सौ वर्षों में होगा । वह नहीं चाहिए । आज तो हमें तत्क्षण और आकस्मिक परिवर्तन चाहिए जिस को सडेन फंडामेंटल चेंज कहते हैं, जिस को रेवोल्यूशन कहते हैं । ईवोल्यूशन नहीं रेवोल्यूशन चाहिए । लेकिन क्रान्ति की दिशा क्या होगी ? क्रान्ति किस प्रकार होगी ? क्या हिंसा से होगी या अहिंसा से होगी और यही मूलभूत प्रश्न है कि आज समाज के परिवर्तन के लिए अस्त्र कौन चाहिए ? हम ने देखा है कि में सचमुच समाज-परिवर्तन जब शस्त्र के द्वारा हुआ, हिंसा के द्वारा हुआ तो जनता के हाथ में सत्ता नहीं आई । हम ने देखा कि चार्ल्स प्रथम का सिर तो कटा लेकिन उस के नीचे से क्रामवेल जैसा डिक्टेटर पैदा हुआ । उसी तरह से फ्रांस की राज्य क्रान्ति में लुई तो खत्म हुआ। लेकिन वहां नैपोलियन जैसा राक्षस पैदा हुआ इसी प्रकार रूस में जार तो खत्म हुआ लेकिन स्टालिन जैसा तानाशाह वहां पैदा हुआ । इसीलिए यह निश्चित है कि जब हिंसा के माध्यम से समाज परिवर्तन का काम होगा तो जनता के हाथ में सत्ता नहीं आ सकती है । सत्ता आएगी ऐट दि बैरेल आफ दि गन तो गन जिस के पास होगी, तोप जिस के पास होगी उसी के पास सत्ता रहेगी । इसीलिए सचमुच में समाज परिवर्तन की दिशा क्या होनी चाहिए ? समाज परिवर्तन के विषय में जब हम सोचते हैं तब हम लोगों को सोचना है कि क्या उस के लिए अहिंसात्मक कोई अस्त्र नहीं हो सकता है ? भारतवर्ष की स्वतंत्रता इस बात का प्रमाण है कि अहिंसात्मक-रूप से समाज में परिवर्तन हो सकता है । इसी तरह जमींदारी एबालिशन हुआ कोई रूस की तरह हत्याकांड नहीं हुआ । देशी रजवाड़े खत्म हो गए, कोई हत्याकांड नहीं हुआ । भूदान और ग्रामदान में लाखों एकड़ जमीन दी गई, कोई हत्याकांड नहीं हुआ ।

केवल यह भारतवर्ष का ही इतिहास नहीं है समयाभाव के कारण मैं ज्यादा उदाहरण नहीं रख सकता । आज भारतवर्ष में गांधी जी की भूमि में ट्रस्टीशिप बिल पर बहस कर रहे हैं लेकिन प्रोफेसर शूमाकर के शिष्य शाउटेल जयप्रकाश जी के पास आए थे, उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल कामन ओनरशिप ऐक्ट 1976 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो चुका है । प्रश्न यह है कि पूंजीवाद के जो दोष हैं वह भी सामने हैं और समाजवाद के जो दोष हैं वह भी सामने हैं । पूंजीवाद की जो अच्छाइयां हैं उत्पादकता और मितव्ययिता आदि वह भी सामने हैं । आज रूस का अर्थशास्त्री इसलिए रोता है कि प्रोडक्शन में इंसेंटिव नहीं है ।

आज इसीलिये पूंजीवादी अर्थशास्त्र के जो गुण हैं, उत्पादक अर्थ शास्त्र के गुण उद्यम, कुशलता, मितव्ययता, तत्परता चाहिये । समाजवाद के जो आवश्यक गुण हैं—वे भी हम को आने चाहिये । वहां शोषण नहीं, विषमता, दासता और असमानता का अन्त है । तो प्रश्न यह है कि दोनों सिद्धान्तों की अच्छाइयों को हमें लेना है । आज सचमुच में कोई अंध विश्वासों के क्षेत्र में नहीं रह सकता है । आज सचमुच में साम्यवाद के जहां गति-तत्व डाइनेमिक खत्म होगी, वहां से चलना चाहिये और पूंजीवाद भी जहां जीर्ण-शीर्ण पड़ गया है, वहां से आगे प्रारम्भ करना चाहिये । इस प्रकार दोनों ही सिद्धान्तों की अच्छाइयों का समन्वय करना चाहिये और दोनों ही सिद्धान्तों की बुराइयों को निराकरण करना चाहिये तथा दोनों से परे भावात्मक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत करना चाहिये । प्रश्न है— जो साम्यवाद है या कोई वाद है, वह किस के लिये है—

"सबार ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर नाई ।"

इसीलिये आज यूरोप में भी डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों साथ-साथ आ रहे हैं । सचमुच में सत्ता जब आती है, तो उस के साथ निरंकुशता आती है —

"Power corrupts a man and absolute power corrupts absolutely."

इसीलिये लोगों को पागल करने के लिये राजसत्ता ही बहुत पर्याप्त होती है, परन्तु जिस राज्य के पास राजसत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों का केन्द्रीकरण हो जाए, उस राज्य से तानाशाही के बीज निश्चित ही फैलेंगे । इसी लिये बापू जी ने कहा था—

"Violence of private ownership is less injurious than the violence of the State. However, if it is unavoidable I would support minimum of State ownership."

गांधी जी न किसी प्रकार के रूढ़ीवादी रहे, न व्यक्तिगत पूंजीवाद के गुलाम थे, न राज्य के समाजवाद के गुलाम थे । उन्होंने विश्व को एक नया आयाम और नया अध्याय दिया । इस लिये ट्रस्टीशिप की जहां तक बात है—हम कहेंगे कि केवल यही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में ट्रस्टीशिप के व्यवहार को अगर आप देखना चाहें, तो प्रो० शमाखेर की पुस्तक—स्माल इज ब्यूटिफुल—देखें । इस में उन्होंने कई बातें कही हैं—पूंजीवादी और साम्यवादी गति-तत्व समाप्त हो चुके हैं । इस लिये अगर मनुष्य सुख से जीना चाहता है और शान्ति से मरना चाहता है तो उसे ममता के साथ स्वतन्त्रता भी चाहिये, आजादी के साथ रोटी भी चाहिये । जयप्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान करते हुए कहा था:—

"There is no dichotomy between freedom and bread."

इसी लिये इन्दिरा गांधी ने उस समय जो कहा था—यह स्वतन्त्रता खत्म करने की बात नहीं है, स्वतन्त्रता और रोटी में कोई भी विरोधाभास नहीं है । आज आवश्यक है कि हम विदेशों के उदाहरण भी देखें । ब्रिटेन में "स्काट बार्डर कामनवेल्थ" 1951 में हुआ । समयाभाव के कारण मैं अधिक नहीं कह रहा हूं । जान-लूइस पार्टनरशिप जहां 2500 एम्पलाइज काम करते हैं, वहां हुआ । सैण्डर-लैंड में 1973 में भी छोटी सी कम्पनी में हुआ । रावन कम्यूनिटी में, 1965 में इण्डस्ट्रीयल कामन ओनरशिप एक्ट बना । यू०एस०ए० में भी सीयर्स रावक का उदाहरण आप के सामने है । वेस्ट जर्मनी में जीस फाउण्डेसन का उदाहरण है । स्वीडन में इन्डस्ट्रीयल डेमोक्रेसी है । जापान, मैक्सीको और यूगोस्लाविया में भी हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, सचमुच में हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमें किस प्रकार के स्वामित्व के लिये क्या करना चाहिये ? मैं कभी नहीं मान सकता हूं कि व्यक्तिगत स्वामित्व चलना चाहिये । न तो यह हमारे संस्कृति में है, न हमारे लिये आवश्यक है और जनता पार्टी ने भी सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिये अपने वचन को पूरा करने का प्रयास कर लिया है । इस लिये सम्पत्ति व्यक्तिगत नहीं है, सम्पत्ति किसी की नहीं है । इसी लिये उपनिषदों में कहा है —

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यांजगत् तेन त्येकेन भुजीं थाः ।"

गीता में भी स्पष्ट है "त्यक्त सर्व परिग्रहः" इसी तरह चाहे बाइबल हो या कुरान हो—वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के पक्ष में नहीं हैं। जब ट्रस्टीशिप की बात हम करते हैं तो यह स्पष्ट करते हैं कि सम्पत्ति व्यक्ति की नहीं है, वह समाज की है । जैसा कि कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो में कहा गया है—

"Capital is a social power."

इसीलिये जब ट्रस्टीशिप की बात होती है तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि सम्पत्ति किसी व्यक्ति की नहीं है । सम्पत्ति सब रघुपति के राही । वह उस का उपयोग दूसरों के लिये करेगा, समाज के लिये करेगा । आज पब्लिक एन्टरप्राइजेज की क्या हालत है ? जो लोग उस काम को नहीं जानते, जिन को उस का अभ्यास नहीं है, उन के हाथ में ये चली जाती हैं, करोड़हा-करोड़ रुपये उन पर खर्च होते हैं—लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है । इसी लिये यह कहा जाता है कि जिन को इस की कुशलता मालूम है, जिन को इस की क्षमता है, उन के हाथ में दें और जैसा गांधी जी ने कहा है—उतना ही वह उस से लें, जितना समाज दे, वह पैतृक सम्पत्ति नहीं हो सकती है । इसीलिये गांधी जी के शिष्य—जिन को कुजात-गांधीवादी भी कहा जाता था—

[डा० रामजी सिंह]

डा० लोहिया स्टेचुटरी ट्रस्टीशिप की बात करते थे । अगर यह हो जाए, तो बहुत अच्छा है, यदि यह सम्भव न हो, तो "परमिसिव ट्रस्टीशिप" की बात को मान लेने में विधि मंत्री जी को कोई झिझक नहीं होना चाहिये । इस को तो मान ही लेना चाहिये, यदि नहीं मानते हैं तो हम कहेंगे कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं ।

गांधी जी ने यह भी कहा था—हिन्दुस्तान की आजादी के बाद अगर सम्पत्ति वाले अपनी स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का वितरण नहीं करेंगे, तो हिन्दुस्तान में खूनी क्रान्ति होगी और उसे कोई नहीं रोक सकेगा । अहिंसा के पुजारी—विनोबा जी ने भी कहा था—अगर यह अहिंसक सामाजिक क्रान्ति विफल हुई तो फिर बाबा के दोनों हाथों में नंगी तलवार होगी । इस लिये मैं आप से निवेदन करूंगा—जब हम गांधी जी की ट्रस्टीशिप की बात करते हैं तो उस में व्यक्तिगत सम्पत्ति की कोई वकालत वह नहीं करते हैं, बल्कि वह तो कहते हैं—व्यक्तिगत सम्पत्ति तो हराम है ही । इस लिये, सभापति महोदया, ऐसी स्थिति में आप से यह कहेंगे, हमें सोचना चाहिये—आज जब हम गांधीवादी निष्ठा और आस्था के आधार पर व्यवस्था कर रहे हैं तो हमें "परमिसिव-ट्रस्टीशिप" को स्वीकार कर लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये ।

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Madam Chairman, Shri Arjun Singh Bhadoria has introduced the Indian Trusteeship Bill of 1978 in the House. While introducing the Bill the mover had dealt with in extenso what Gandhiji and Ram Manohar Lohia had cherished about the concept of trusteeship in our country and Shiv Ramji Singh who followed next added to it the views of Vinoba Bhave. They have in their speeches tried to highlight the fact that all the factories and mills should be brought under the trusteeship of the capitalist and that of the workers and if this is done then the economic inequality, social inequality that is presently prevailing in the society can be ended and we would be able to usher in the country to a socialistic society or lead to that objective I would have been really very happy if through the modality suggested by Shri Bhadoria the country could achieve the objective set forth in the Bill but I say it firmly and with sadness too that even after hundreds of years the country would not be able to chieve the objective and it would remain a pious wish only. I would like to emphasise this fundamental difference in regard to the approach of the matter because, if it were so, those who had ruled the country for 30 long years in the name of Gandhi, those who followed the teachings of Shri Ram Manohar Lohia and those who had set forth lofty ideals in the manifesto of the Janata Party, would have a succeed in levelling down the social and economic disparties that have continued to exist in this country during all these years but the disparities far from getting diminished went on increasing in a gallopping manner and it is indeed a sad commentary, that no less than 70 per cent of the population of our country today live below the poverty line. A little while ago Shri Shastri was speaking on his Bill about the necessity of incorporating the "right to work" in the chapter of Fundamental Rights of the Constitution. I have heard him carefully and I have also heard with rapt attention the speech of the Law Minister Shri Shanti Bhushan which preceded that. The Law Minister was mentioning in great detail how the Government was trying to scientifically orient the planning mechanism to eradicate unemployment from this country within ten years. Through their speeches they have suggested, particularly Shri Ramji Singh, that the change can be brought about in a peaceful way and in fact they had supported the principal of status Quoism. With all my respect and regards to the great men of our country like Gandhiji, Ram Manohar Lohia, Jaiprakash Narayan, Vinoba Bhave etc. let me tell this House clearly and firmly that nothing can be achieved unless we are able to bring about a structural change in the socio-economic sphere of our country and I hold that that the prevailing capitalist economy only breeds decay and deepens disparities—social, economic and financial

*The original speech was delieved in Bengali.

and unless this is ended we have no hope to look forward to a socialistic society where equality permeates all walks of human life, we can never achieve the objectives of the Bill within the present social set up. My friend Shri Ramji Singh is not here in the House at this moment. He had said a little while ago that democracy cannot flourish in a socialistic and communistic form of Government and he said that the Communist countries are suffering from State Capitalism. I fully and firmly disagree with this idea. Shri Ramji Singh himself had said "*Sabar Opor Manus Satya Tahar Upar Nai*" If it be so, then should we not try to create a society where every individual of the society has a fundamental right to work, a fundamental right to get education, a fundamental right to get treatment free of cost when he is sick and above all the social liberties to pursue his language and culture along with his right to earn his bread and such a society is only possible in a Communist pattern of Government and even democracy becomes really meaningful only under such a set up. It is only in this set up that a fuller developments of man is possible and I feel it is the best form of society. Today we talk of *bourgeoisie* democracy. We talk of Parliamentary Democracy. But in whose interest the democracy is functioning. It is functioning to safeguard the interest of the capitalists, feudal lords and the class of exploiters who are exploiting the poor. In this set up may I ask the hon. Members whether a cultivator has any real liberty, whether a share cropper has any real liberty, whether the agricultural labour has any real liberty. No they have none. Shri Ramji Singh was saying that in a socialistic set up violence has its own place. But may I tell you Madam that all those who swear by Gandhiji and his cult of non-violence, having captured the State power, during the last thirty years, had let loose or sided with a reign of violence where the small cultivators and the share croppers were evicted from their land holdings and the land barons went on enlarging their empire despite all legislation. It is true that the Janata Government has restored democratic rights to the people but even they cannot deny that even during their rule the Harijans are being exploited, and even killed, the share-croppers are being uprooted, the landless are being harassed the agricuitural labour are still not getting their minimum daily wages of Rs. 8.10 p. Then where is the real democracy? Where is the cherished socialistic pattern of society that the rulers of our country have been dreaming for the last 30 years? In my State of West Bengal, a leftist Government is now in power. Our resources are meagre but within the grave limitations of our resources we are trying our best to uplift the lot of the small and marginal farmers, the share croppers and the agricultural labourers. I would therefore say without any sense of hesitation that a society based on communist philosophy is the only answer to the problem; it is the only salvation for the exploited and harassed poor who have been subjected to harassment for centuries. I am not ashamed to say this. I will further say that in a Communist/Socialist Society the feudal barons and the class of exploiters will have no liberty to carry on their exploits. Under our present social system nearly 95 per cent of the population of the country are being explited by the remaining 50 per cent of the population. It is a dreadful and humilitating situation and it cannot be allowed to continue for long. In the society of our make the individual will have the fullest liberty for his social and economic development. Today in our country the owner of a small industry does not enjoy as much liberty as an individual in a Communist society.

Madam Chairman the present bill has many good wishes for the people. I have no querrel with them but I am a serious about in its implementation. I feel that it is not possible to achieve the objectives of the bill the way the mover wants to have it done. It is simply not possible. While giving

[Shri Krishna Chandra Halder]

reply to the debate on his Bill, Shri Shastri was horror struck and he was saying about violence. China and Naxalites were also mentioned during the debate. Shri Ramji Singh in his speech said that it is not possible to achieve the objective through evolution. He also said that a revolution is necessary. We also say that a revolution is a must. Now the question is whether this revolution should take the path of violence or non-violence. I must say with all the emphasis at my command that the option is not left to us, the exploited millions of the country. It all depends how the Government dominated by *bourgeoisie* class is going to react to the struggle for attainment of equal rights by the vast majority of the explited population of our country. The Centre has the Central Reserve Police, and the B.S.F. and the States have their own para military forces which total to about 8/10 lakhs. If all these para military forces try to use violence to crush and curb the just and peaceful struggle and agitation of the millions of our exploited population then I will say that the 95 per cent of 65 crores of population would be perfectly justified to take up arms to make their revolution to bring about a social change in the country a success. Therefore it all depends how the ruling class chooses to behave towards these whom they have been exploiting till date. It is also very essential to emphasise that by maintaining a *status quo* in the social order we cannot achieve the objective of the Bill and I will take this opportunity to warn the feudal and capitalist forces who are trying to guide the functioning of the Janata Government from behind the screen, that the people of the country will not tolerate them any longer. The invincibility of one party rule in the country has ended. The people have defeated and crushed the myth. We have State Governments who believe in different political philosophy. In West Bengal and Tripura we have the leftist Government, in Tamil Nadu—the AIADMK is ruling, in Goa and Kashmir, parties subscribing to two different idiologies are in the helm of affairs. In short, the political situation in the country today is in a fluid state. What would be the shape of India of tomorrow will depend much upon the attitude of the class of exploiters. Marxism is a political science. In bringing about the social change, we firmly feel and believe that under the conditions prevailing in our country—the social and economic philosophy of Marx is the most suitable one and the best and we would like to apply this philosophy for ending the miseries of our people and as I have already said, whether this application will take the path of violence or non-violence will much depend upon the Central Government, the feudal lords and the capitalist class. We want to offer this alternative to the people which is the real way to end social and economic disparity that prevails in every segment of the society, which will help them to attain their full development in social cultural and economic sphere and we are sure that all efforts to mislead the people will be frustrated. One party, the CPIM, will make every effort to apply the Socio-political philosophy of Max and we feel that the unity of the exploited millions of our country and the unity of the leftist forces will offer the real alternative to the people of our country to bring an end to their present miseries. Whether our struggle for the attainment of our ideals will be peaceful or violent will much depend upon the attitude of the Central Government and the capitalist exploiters. But we are determined and we are sure that we would be able to translate our ideals into a reality and then we would be able to lead people to liberation, towards their betterment and finally we will succeed in establishing socialism in this country. With these words I conclude.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, श्री अर्जुन सिंह भदौरिया ने, समाज में पहले दिन से जो बहस चली आ रही है और उसे जिस ढंग से डा० राम मनोहर लोहिया ने पेश किया, उसे उसी ढंग से पेश करने की कोशिश की है। हमारे समाज में जब तक बुनियादी तौर पर पैसे का आधिपत्य, रुपये का अधिकार खत्म नहीं होगा तब तक हमारी जितनी भी स्कीमें हैं वह सारी की सारी फेल होती जायेंगी।

वैदिक काल में एक बच्चा पैदा होता था, वह 5 साल तक घर वालों के पास रहता था, उसके बाद वह गुरुकुल में चला जाता था। घर वालों का अधिकार बच्चे पर नहीं होता था, वह बच्चा गुरुकुल में जाता था और वहां ब्रह्मचर्य धर्म के बाद गृहस्थ में आता था, फिर 25 साल कमाई करने के बाद उसको फिर घर से निकाल देते थे। 5 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में शामिल होने के लिये भी उसे अधिकार नहीं था कि वह क्या काम करेगा। जो गुरुकुल वाले समझते थे कि यह काम ठीक से कर सकता है, उसके मुताबिक ही उसको काम दिया जाता था। उसे खुद कोई अधिकार नहीं था। जब वह पचास साल का हो गया, तो फिर वह घर से बाहर निकल गया। और 75 वर्ष के बाद जब तो वह एक जगह ठहर भी नहीं सकता था। यह तरीका कुछ देर चला। फिर दूरा तरीका चलता रहा। आखिर में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का भी रास्ता दिया। जहां तक कार्ल मार्क्स का ताल्लुक है, उसमें साइंटिफ़िक सोशलिज्म की बात कही थी। मगर अभी मार्किसज्म के महापंडित जिस ढंग से बात कर रहे थे, उससे जाहिर है कि ये लोग उस आइडियालोजी के गुलाम हो कर रहे हैं। रूस वाले भी अपने ढंग से उसके गुलाम होकर रह गये हैं। लेकिन अब सारे यूरोप में एक नई क्रान्ति आई है। वहां के छोटे छोटे देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा है कि हम रूस के साम्राज्यवाद को कुबूल नहीं करेंगे और हम अपने यहां अपने तौर पर ढांचा कायम करेंगे।

हिन्दुस्तान में भी अपना एक ढांचा था। अभी मैं ने वैदिक काल की बात कही है। उस के बाद एक और ढांचा बना, जो अंग्रेजों के आने तक बना रहा। किसान पैदा करता था और दूसरे लोग काम करते थे। जब फसल आती थी, तो हर एक काम करने वाले को—कोई लकड़ी का काम करता था, कोई लोहे का काम करता था, कोई दूसरी मेहनत करता था, कोई पढ़ाने वाला था—उसमें से हिस्सा मिल जाता था। उस वक्त पैदावार एक जगह जमा नहीं हो सकती थी। जब फसल आ जाती थी, तो वह लोगों में तक्सीम हो जती थी।

उसके बाद हम तरक्की करते गये। अब यहां पर मशीनरी का युग आया है, जिसमें दौलत एक जगह इकट्ठी हो गई है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, और हाउस में मंत्री महोदय बयान देते हैं कि हिन्दुस्तान की इतनी दौलत बीस घरानों के पास जमा हो गई है। जब जनता पार्टी का राज्य नहीं हुआ था और यहां पर अलग अलग पार्टियां थीं, तो हम लोग बाजू उठा कर कहते थे कि ये घराने और बड़े हो गये हैं, यह खाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ़ कैलाश है और दूसरी तरफ़ गहरा समुद्र है। हम बहुत जोर से यह आवाज उठाते थे। लेकिन जब हमारे हाथ में राज्य-सत्ता आ गई है और वह बाजू उठा कर बोलने वाले श्री जार्ज फ़र्नान्डीस इस कुर्सी पर बैठे हैं, तो कल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन घरानों को कुछ लाइसेंस दिये गये हैं। जब हम पालिसी के तौर पर कहते हैं कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे, तो उन्हें लाइसेंस क्यों दिये गये हैं और क्यों दिये जा रहे हैं। जो सफ़ाई उन्होंने पेश की वह पिछले तीस सालों में पहली सरकार भी पेश करती आई है। इस वक्त भी यही कहा जाता था कि बड़े घरानों के पास टेकनालोजी है और वे बड़े अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : कहीं कुर्सी में में तो गड़बड़ नहीं है।

चौधरी बलबीर सिंह : माननीय सदस्य कहते हैं कि कहीं कुर्सी में तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं कहूंगा कि इस को डिसइनफ़ेक्ट करा दिया जाये। इसमें जरूर कोई जरासीम होंगे, जो तीस साल पहले अंग्रेज यहां फैला गये होंगे, और पिछले तीस सालों में कांग्रेस वालों ने यहां फैला दिये होंगे। इसी लिए इस कुर्सी पर बैठ कर वही आवाज शुरू हो जाती है। श्री जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति की बात कही थी। लेकिन वह सम्पूर्ण क्रांति तभी आयेगी, जब हम पूंजीवाद के बारे में नया नजरिया बनायेंगे और मौजूदा ढांचे को बदलने के लिए कदम उठायेंगे। यह पूंजीवाद का ढांचा जिस ढंग से कायम है और सरमाये पर, दौलत पर, नोटों पर सत्ता जब तक कायम रहेगी तब तक यह काम इसी ढंग से चलते रहेंगे। यह इतना बड़ा हमारा समाज है। अभी हम से पहले जो प्रस्ताव पेश किया था शास्त्री जी ने कि सब को काम दो, उसमें मंत्री महोदय ने बड़ी फिगर्स पेश कर दी कि इतने करोड़ आदमी आज बेकार हैं और हम इस ढंग से काम करेंगे तो यह तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन दस साल के बाद फिर यही फिगर्स आ जाएंगी कि इस अरसे में और बेकारी बढ़ गई है, और ज्यादा बेकार पैदा हो गए हैं। तो बुनियादी ढांचा बदलना पड़ेगा। ढांचा क्या है? इस देश में दौलत है हमारे पास जमीन मौजूद है, जमीन मौजूद है, दरियाओं का पानी मौजूद है बिजली मौजूद है, मेहनत करने वाले करोड़ों हाथ मौजूद हैं जिन को हम कहते हैं कि काम नहीं दे सकते इन हाथों से काम लेने के लिए, इस दौलत में

[चौधरी बलबीर सिंह]

काम लेने के लिए हमारे पास दिमाग मौजूद है। यह सारा जितना समाज है वह मौजूद है और अगर हम यह फैसला करें कि हिन्दुस्तान की आबादी को हम कपड़ा दें, मकान दें, रोटी दें तो क्या यह नहीं कर सकते? रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन नारे थे, तो रोटी, कपड़ा और मकान हम पैदा करें। अगर हमारा देश अनाज पैदा कर सकता है, जितनी हमारे देश की आबादी है उस की जरूरत भर को तो फिर क्या खतरा है कि यहां इस देश में कुछ और आदमी पैदा होते जायेंगे? जितना यह फेमली प्लानिंग पर पैसा खर्च करते हैं अगर यह इन हाथों को काम देने के लिए खर्च किया जाय तो यह समस्या नजर नहीं आएगी। चीन की आबादी 90 करोड़ की है। वहां उन की और समस्या होगी लेकिन वहां यह समस्या इतनी भयंकर शकल में नहीं है जितनी यहां है या दूसरी जगह है। जितने इस देश में खाने वाले मुंह हैं क्या हम उन सब के लिए अनाज नहीं पैदा कर सकते हैं? जब हम कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस है, हम बाहर अनाज दे सकते हैं तो फिर क्या घबराहट है? हिन्दुस्तान में रहने वाले जितने हैं क्या उन को हम कपड़ा नहीं दे सकते हैं? जब हम कहते हैं कि कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे, बना बनाया कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे तो इस देश में रहने वालों को कपड़ा क्यों नहीं दे सकते? तीसरी समस्या है मकान की। जितने लोग आज ऐसे हैं जिन को हम काम नहीं दे सकते, उन से मकान बनवाना शुरू कर दें, मकान बन जायेंगे। सवाल यह है कि हमारे पास दौलत मौजूद है, हाथ मौजूद हैं, अकल मौजूद है, जब तीनों चीजें मौजूद हैं तो इन तीनों चीजों को बेलेंस क्यों नहीं करते इन को आर्डिनेट क्यों नहीं करते? इन को इकट्ठा कर के काम करेंगे तब आएगी सम्पूर्ण क्रांति की बात। हर हाथ को काम मिलेगा और हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, तब यह सारी बातें चलेंगी।

यह ट्रस्टीशिप वाली बात जो है, हम ने बहुत नारे देखे हैं ..(व्यवधान)... थाने में इकट्ठे कर दिये दस नम्बर के बदमाश, डाकू, चोर और स्मगलर्स, वे कसमें खा कर चले गए कि हम आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। तो क्या बदमाशी कम हो गई? हम कहते हैं कि हम दौलत नहीं रखेंगे लेकिन जो दौलत वाले हैं उन को तरीके आते हैं?। तो उस के लिए हमें लाजिमी तौर पर दौलत के बारे में जो हमारा नजरिया है वह बदलना पड़ेगा। जो सदियों से हमारा सोचने का ढंग चला आ रहा है उस को बदलाना पड़ेगा। उसको तब्दील करके समाज में जो नाबराबरी है उस को ठीक करने के लिए हम जो कर सकते हैं वह करेंगे। मदौरिया साहब ने इस को पेश किया है और डा० राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था उस को मानने वाले जार्ज फरनानडिस आज सत्ता में हैं, अटल जी हैं, उन के हाथ में राज सत्ता है, तो वह जो कहते थे उस के मुताबिक काम करके और समाज को बदल कर के सम्पूर्ण क्रांति लाएं। आप का धन्यवाद।

PROF. P. G. MAVALANKAR: Mr. Chairman, Sir, I start by congratulating the Mover, Shri Arjun Singh Bhadoria, for bringing this Bill, because it gives us a chance to express our views on some of the tenets of Gandhism and Socialism, as understood in the Indian context.

I commend his Statement of Objects and Reasons. I do not want to take the time of the House by detailing the whole thing from the Statement of Objects and Reasons, but I am glad he mentioned three things there. He wants that in independent India the capitalists should become the legal trustees. He also wants through this Bill to usher in an era of socialist society through peaceful means. Finally, he says that the intention of the Bill is not to take any manadatory steps but to take persuasive steps so that the present proprietors of the companies may convert their absolute ownership into trustee ownership.

Nobody can object to these laudable objectives. They are all very good. My first point is that the Bill, as it stands now, as though it is an enabling one, as my other friends have said, it enables, it permits, it does not oblige every company to follow, but still the way it is worded, I do not know whether the Government can accept the Bill as it is. Because it is too general. Therefore, I am speaking very briefly on this Bill mainly to explain, as I see, some of the important matters connected with Gandhiji's ideas on trusteeship.

I am very sorry that Shri Shanti Bhushan, the Minister of Law, has been so overburdened these days. I find that, one after another Bill, he has to be at this desk of duty. Unfortunately, his collegue has resigned, as you know, and he is not getting any replacement. I wish there was somebody to replace him to enable him to have a cup of tea.

The main thing is that Gandhiji's trusteeship ideas and also ideas of

Gandhiji about various matters dealing with economic matters are not to be completely ridiculed or dismissed as irrelevant or Utopian. I want to suggest in all humility, but in all seriousness also, that much of Gandhiji's thought has a certain value because it is permanent, because it is relevant, because it is perenially refreshing. It is mainly so, because Gandhiji always thought in terms of certain fundamental values and he trusted human nature and then he started by putting his philosophy into practice. You can have the entire social philosophy by trusting human values and distrusting human nature. That is one way of doing. The other way of doing is, don't distruct human nature, trust human nature, but be also conscious of the limitations of human nature and, wherever there are limitations, regulate them, and wherever there is a limitation which has a potentiality of human nature as being elevating itself or lifting itself or enabling itself, go ahead with it. That is the only way in which society has built up its strength and culture. No society, no culture, has progressed merely on the basis of an enactment of law through Parliament. I am sure, the Law Minister will agree that a law has to be supported by public opinion; it has to be laid by ethical values and it has to be accepted by society in general.

From that angle, I feel there is much to commend for the objectives of my hon. friend, Shri Arjun Singh Bhadoria, in bringing forward this Bill. All this may sound that the trusteeship idea is Utopian. May I say it is not quite so; it is not really so. If everything were Utopian, then the society will never progress. It all started with Utopian ideas. But the people had the guts, the individuals had the courage of conviction to go on those lines and they put them in practice. In fact, Gandhiji himself called his whole Autobiography as nothing but the story of "My Experiments with Truth". In that sense, he was a scientist.

My hon. friend, Shri K. C. Halder, was completely critical, I will not say violent, of this Bill and of the trusteeship idea. It was nice hearing him in sweet Bengai, making very aggressive points on the Bill. Generally, Bengali is a very sweet language. But today he was using such a sweet language for making such aggressive points. As a Marxist, he rightly said that nothing can be changed except through violence. Gandhiji's idea was that nothing can be changed permanently through violence. You can change certain things through violence but not permanently. Ultimately, you must trust in human nature and then you can go forward—it is a gradual and a slow process but a surer and a more steady process. Therefore, I say, it is a tall order but it is worth trying on an experimental and innovative basis.

How could Mahatma Gandhi do all this? As I said, he was not looking at it merely as a philosopher or as a speculator. He was an intensely practical man. And, he had a tremendous scientific attitude on the whole matter. Unless it was proved by him through some experiment that the thing worked, he would never advocate that. Therefore, to dismiss the whole idea of trusteeship as something unscientific is wrong. It is undoubtedly based on humanism and spiritualism. I dare say, much of humanism and spiritualism is also science.

The modern society is full of science and technology, and because of science and technology, we have made vast strides in various fields. But may I say, Sir, that in the modern society, there is lot of greed, there is lot of selfishness and there is lot of exploitation? Therefore, the question is how to deal with that problem, how to get rid of this greed, this selfishness and this exploitation. The Communist notion, the socialist notion, the doctrinnaire Communist socialist notion, is that you can do it only through the instrumetnality of law, through coercion and through the dictatorship of the

[Prof. P. G. Mavalankar]

majority who are the workers, the producers and the wage-earners—who go and do the work and then dictate to the minority who is exploiting and is, therefore, dominating ... (*Interruptions*) It depends on the ruling class. I am not here at the moment discussing the scientific principle. I respect my friend and I also share a good part of Communist and socialist philosophy myself. But the point is that Gandhiji's idea or way of dealing with these difficulties and perplexities of greed, selfishness and exploitation was mainly to do it by trusting human nature and by going ahead on those lines. I only want to say, before I sit down, that the principle of trusteeship was, in a way, practised by Mahatma Gandhi when he came to Ahmedabad, my home and constituency incidentally, from South Africa and lived there. The number of textile mills there at that time was more than 50. And how did he conduct the affairs of labour and industrialists? The good relationship between them as through encouraging the capitalists to become good trustees. I do not want to give the names. But in those days the labour relations were not always very good, but Gandhiji saw to it that the relationship was good—especially in the well known strike of 1918 which Gandhiji's Private Secretary, Mr. Mahadev Desai, described as *'Dharma Yudh'*, a war of righteousness. Gandhiji's idea was this: labour and capitalists are not to be at war with each other; they should be partners; it should not be a clash of interests, but it should be a cooperative venture; therefore, not a class war but class partnership. That was his idea and he tried it in his own way. Gandhiji was concerned with many other things also; therefore, he had no time or energy to give concentrated attention to this. My only conclusion is that labour and capitalists can live together on the Gandhian principle of democratic participation and labour participation as Mr. Bhadoria wants through his Bill. But if that is so, the only point is that this matter should be left to persuasive measures rather than to legal enactments. If Mr. Bhadoria says that only legislative measures can bring about trusteeship, then I am afraid I have to tell him, 'Please do not go ahead on that path because it is not possible'. All that you can do is to give a sort of guideline to the State, whichever be the State, and tell the State that, wherever possible, it should be done peacefully through non-violence because that is more permanent, that is ever-lasting.

I conclude by saying that Shri Bhadoria's emphasis on persuasive steps and his emphasis on inculating a spirit of social service are something to be valued. But if he wants the Government, the Law Minister, to accept the Bill and go ahead, then Heavens protect us from that because this Bill will create all kinds of complications; the minority will be in difficulties—who do not want to subscribe to this. Therefore, this should be done only through persuasion, through voluntary methods, if a capitalist wants to use himself and his property as a trust, who stops him? Let him do it. And if he does it and many more follow, then I am quite sure the Government will be fortified in bringing forward more concrete legislation on those lines. These are my thoughts on this very interesting Bill.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Because minority used the means of production to oppress the majority of the people, Marx thought that, if all the property was vested in Government, then it was quite possible to eliminate exploitation. But it proved to be wrong when we had seen that, in the era of Communist rule, from lakhs of agriculturists, small farmers, land had been taken over by the Communist Government. They have been sent to prisons. They have been sent to collective camps. All right, the property has been taken over by the Communist Government. What is happening there? Marx was against creation of surplus value. What is happening in

the Communist countries? Surplus value is being created by the workmen, by the workers in the field, by the workers in the factories. As Djilas has said, a new class has been created, a bureaucratic class which is enjoying the fruits and state-ownership of property has proved that it is more oppressive and, therefore, Gandhiji had to think again as to what was good or the society. I individual ownership is oppressive, State ownership of property is more oppressive—he thought. Therefore, he wanted to suggest a *mix media* policy. As Prof. Mavalankar has said, he wanted to trust human nature. Therefore, he wanted even the capitalists to be the trustees.

Sir, trusteeship we can see even in our society. The family is a trust. The head of the family is a trustee. Even there the father may be a good trustee but if the brother is a trustee, then we are seeing that he is deceiving his brothers. Therefore, the trusteeship degenerates and it depends upon the human nature of the head of the family or the trustee.

17.57 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

When a people founded on trusteeship, even when the government founded on trusteeship basis wanted a trustee to protect them, they created kingship...

MR. SPEAKER: Mr. Naidu, the discussion will continue on the next day.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Mr. Naidu is holding the floor.

MR SPEAKER: Now, the Minister of Parliamentary Affairs.

17.58 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-THIRD REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to present the Twenty-third Report of the Business Advisory Committee.

With your permission I would like to read it out because there are some recommendations which are applicable to 21st August as well.

The Business Advisory Committee held a sitting on Thursday, the 17th August, 1978.

The Committee recommend the allocation of time to the following items of Government legislative and other business as shown against each:—

(1) Further consideration of Statutory Resolution by Shrimati Parvathi Krishnan for disapproval of the Delhi Police Ordinance, 1978 (2) The Delhi Police Bill, 1978 (Further consideration and passing)	2 hours 15 minutes
(3) The Tobacco Board (Amendment Bill, 1978 (Consideration of amendment made by Rajya Sabha)	1 hour
(4) The Visva Bharati (Amendment) Bill, 1978 (Motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Bill to a Joint Committee	1 hour
(5) The Press Council Bill, 1978 as passed by Rajya Sabha (Consideration and passing)	4 hours

The Committee further recommend that to provide time for disposal of urgent Government and other business, the House may also sit on Monday, the 28th, Tuesday, the 29th, Wednesday, the 30th and Thursday, the 31st August, 1978.

The Committee also recommend that in order to enable the House to complete further clause-by-clause consideration of the Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill, 1978 on Monday, the 21st August, 1978, the questions listed for that day may be postponed to Monday, the 28th August, 1978 and there may be no Question Hour on the 21st August.